राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 37 ▪ अंक 10 ▪ अप्रैल, 2017 ▪ ₹10 ▪ पृष्ठ 32

श्रीराम : आस्था और संस्कृति के केन्द्र

शिमला में शिक्षा नीतियों के खिलाफ अभाविप की आक्रोश रैली 08

सरकारी शिक्षा की बदहाल हकीकत 20

"भारत तेरे टुकड़े होंगे" – ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी? 26

परिषद् गतिविधियाँ

दिल्ली में हुए एग्रीविजन कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन करते केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर व अन्य अतिथिगण

शिमला में शिक्षा विषय को लेकर निकली आक्रोश रैली के दौरान अभाविप कार्यकर्ता

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 37, अंक 10
अप्रैल, 2017

संपादक-मण्डल :
आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 **भारतीय संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति 'श्रीराम'**
प्राचीनकाल से ही अयोध्या भारत के राष्ट्र-जीवन की चेतना-स्थली रही है। वैदिक काल से लेकर रामायण काल तक भारत की राजधानी रही अयोध्या समस्त विश्व के लिए आकर्षण...

संपादकीय 04
शिमला: सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ अभाविप की आक्रोश रैली 08
मुथुकृष्णन का संघर्ष जिन्दा है! – डॉ. निकुंज मकवाणा 11
डूसू द्वारा प्रथम दिव्यांग मैराथन का आयोजन 14
अभाविप ने संविधान के शिल्पी को किया याद 15
"भारत केन्द्रित शिक्षा नीति बने" – डॉ. नागेश ठाकुर 17
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अभाविप का धरना 19
सरकारी शिक्षा की बदहाल हकीक्रत – अभिषेक रंजन 20
साहस और संकल्प का क्षेत्र है पत्रकारिता – अजित कुमार सिंह 23
दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन 25
"भारत तेरे टुकड़े होंगे" ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी? – मोनिका अरोड़ा 26
परिचर्चा – अयोध्या विवाद 29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

भारत संक्रमण के काल से गुजर रहा है। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आयी है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी स्पष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। देश ने उसे स्पष्ट बहुमत दे कर सत्ता संचालन का निर्देश किया है। परिणामस्वरूप जितने उत्साहित उसके समर्थक हैं उतने ही मुखर उसके विरोधी हैं। विरोध के जुनून में वे यह भी भूल रहे हैं कि अपने प्रयासों से वे देशविरोधी शक्तियों के ही हाथ मजबूत कर रहे हैं, विकास में बाधक बन रहे हैं।

सीमा पर पड़ोसी देशों द्वारा शत्रुता का प्रदर्शन अब खुल कर हो रहा है। पाकिस्तान जहां अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई और भाड़े के आतंकवादियों के द्वारा शांत हो रही कश्मीर घाटी में फिर से आग भड़काने के प्रयासों में जुटा है वहीं चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा के दौरे को तूल देते हुए दुनियां भर में भारत के खिलाफ वातावरण बनाना शुरू किया है। अरुणाचल पर अपना दावा जताते हुए चीन ने वहां के छह स्थानों के नामों में परिवर्तन की घोषणा कर दी है। यह सीधा संकेत है कि वह इस मुद्दे पर भारत से उलझने के लिये तैयार है।.

भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान के बीच दुरभिसंधि अपने चरम पर है। अरुणाचल में स्थानों के नामान्तरण का यह पैंतरा चीन-पाक आर्थिक गलियारे पर भारत के विरोध को निरस्त करने के लिये अपनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित अन्य दल केन्द्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

भारत के विरुद्ध सीमा पार से होने वाले प्रत्यक्ष, परोक्ष अथवा कूटनीतिक हमलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के स्थान पर अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश राजनीति का विकृत रूप है। वहीं, जब आर्थिक गलियारे के निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इसका मुखर विरोध करने के बजाय चुप्पी साध लेने के अपराधी कांग्रेस सहित वे सभी दल हैं जो उस समय सत्ता पर काबिज थे। गिलगित-बल्तिस्तान में विधानसभा बनाने और उस विधानसभा द्वारा पाकिस्तान के पांचवे राज्य के रूप में शामिल किये जाने जैसे प्रस्ताव पारित किये जाने की आपत्तिजनक घटनाओं पर भी सीमित बयानबाजी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेने वाले दलों को इस बात के लिये कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिये कि उन्होंने भारत की संप्रभुता से समझौता कर शांति खरीदने की नाकाम कोशिश की।

सत्रांत के काल में जहां शिक्षा संस्थानों में ग्रीष्मावकाश के कारण गतिविधियां प्रायः ठहर जाती हैं वहीं विद्यार्थी अपनी भावी योजनाओं के लिये और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। प्रवेश परीक्षाओं का क्रम प्रारंभ होगा। विद्यार्थियों को भी आशा-निराशा के दौर से गुजरना होता है। पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त आज शिक्षा की समानान्तर धाराएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी हैं। इन धाराओं पर सवार होकर नयी मंजिलें तलाशी भी जा सकती हैं और पायी भी जा सकती है। प्रस्तुत अंक इसमें एक सीमा तक आपका सहायक हो सकेगा।

आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं सहित,

आपका,

संपादक

भारतीय संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति 'श्रीराम'

प्राचीनकाल से ही अयोध्या भारत के राष्ट्र-जीवन की चेतना-स्थली रही है। वैदिक काल से लेकर रामायण काल तक भारत की राजधानी रही अयोध्या समस्त विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही। हिन्दू राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के ज्ञान सागर में डुबकी लगाने हेतु जहां संसार के प्रत्येक कोने से विद्वान यहां आने को आतुर रहते थे, वहीं इस राष्ट्र-जीवन के शत्रुओं ने भी बार-बार अयोध्या को ध्वस्त करने हेतु सफल-असफल प्रयास किये।

| अवनीश राजपूत |

किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व और अस्मिता, स्वत्व और स्वाभिमान उस देश के श्रद्धा व आस्था केन्द्रों, महापुरुषों के स्मृतिस्थलों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन पर निर्भर करता है। यह इतिहास का एक कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारे हजारों श्रद्धा, पुण्य और प्रेरणा केन्द्रों को ध्वस्त कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत करने का दुस्साहस किया था। यह विदेशी आक्रमणकारी भारत की अस्मिता को दर्शाने वाले इन श्रद्धा केन्द्रों को नष्ट करके समाज के विश्वास, श्रद्धा व मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते थे। वे सम्पत्ति की लूटपाट, समाज का कत्लेआम, महिलाओं का चारित्रिक उत्पीड़न, धार्मिक ग्रंथों व ग्रंथालयों का दहन करने के साथ-साथ देवालयों को ध्वस्त कर देवी-देवताओं की मूर्तियों को खण्डित कर दिया करते थे। कुछ वर्षों पहले ही अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा को तोड़े जाना भी तो उसी बर्बर मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने हिन्दुस्थान में हजारों मंदिरों को तोड़ा और फिर अपने वर्चस्व का दंभ दिखाने के लिये उन्हीं मंदिरों के स्थान पर, उन्हीं मंदिरों के मलबे से मस्जिदें खड़ी

कर दीं। देश के कोने-कोने में ऐसे अनगिनत स्थान हैं। इनमें से बहुत से स्थानों पर तो इन बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा किये गये विध्वंस के चिन्ह आज भी अयोध्या, मथुरा, काशी और सोमनाथ सहित कई स्थानों पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। प्राचीनकाल से ही अयोध्या भारत के राष्ट्र-जीवन की चेतना-स्थली रही है। वैदिक काल से लेकर रामायण काल तक भारत की राजधानी रही अयोध्या समस्त विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही। हिन्दू राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के ज्ञान सागर में डुबकी लगाने हेतु जहां संसार के प्रत्येक कोने से विद्वान यहां आने को आतुर रहते थे, वहीं इस राष्ट्र-जीवन के शत्रुओं ने भी बार-बार अयोध्या को ध्वस्त करने हेतु सफल-असफल प्रयास किये। अयोध्या ने भी उपरोक्त दोनों प्रकार के यात्रियों को यथायोग्य एवं समयोचित उत्तर दिया। भारतीय संस्कृति के जिज्ञासुओं को अपना ज्ञानामृत पिला कर तृप्त पिला कर तृप्त किया और दुष्ट आक्रमणकारियों को सरयू की धूल भी चटाई। दशरथ-नन्दन राम के जन्म के उपरान्त तो अयोध्या का सम्बन्ध सम्पूर्ण चर-अचर के साथ जुड़ गया। अयोध्या ने स्वयं को सृष्टि के साथ एकरस कर लिया और संसार के प्रत्येक प्राणि के लिये स्वर्ग का द्वार बन गयी।

हिमालय की गोद में अठखेलियां खेलती हुई पुण्य-सलिला सरयु अविरल चट्टानी रास्तों को तोड़कर मैदानी क्षेत्रों को तृप्त करती बहती चली आ रही है। वैदिक काल से आज तक निरंतर चला आ रही यह पुण्य प्रवाह अपने अंक में भारत राष्ट्र के सहस्राब्दियों पुराने इतिहास को संजोए हुए है। इसी पतित पावनी नदी 'सरयू मैय्या' के किनारे मर्यादा पुरुषोतम भगवान राम की क्रीड़ास्थली अयोध्या नगरी बसी है। यही श्रीराम की जन्मस्थली है।

हिमालय की गोद में अठखेलियां खेलती हुई पुण्य-सलिला सरयु अविरल चट्टानी रास्तों को तोड़कर मैदानी क्षेत्रों को तृप्त करती बहती चली आ रही है। वैदिक काल से आज तक निरंतर चला आ रही यह पुण्य प्रवाह अपने अंक में भारत राष्ट्र के सहस्राब्दियों पुराने इतिहास को संजोए हुए है। इसी पतित पावनी नदी 'सरयू मैय्या' के किनारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की क्रीड़ास्थली अयोध्या नगरी बसी है। यही श्रीराम की जन्मस्थली है। 'राम' भारतीय संस्कृति की सशक्त और चिरंतन अभिव्यक्ति है, इसलिए अयोध्या भी इस मृत्युंजय संस्कृति का एक अमिट हस्ताक्षर है। श्रीराम और अयोध्या परस्पर पर्याय है। भारत और भारतीय जीवन मूल्यों के गगनस्पर्शी ध्वज यदि श्रीराम है तो अयोध्या को इस ध्वज का ध्वज स्थल मान लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखा जाये तो भारत राष्ट्र के इस चेतना केन्द्र को समाप्त करने के प्रयास निरंतर चलते रहे। सर्वप्रथम तो आसुरी अत्याचारों के प्रतीक लंका के राजा रावण ने श्रीराम के पूर्वजों को परास्त करके अयोध्या को ध्वस्त और अपमानित करने का प्रयास किया। फिर ग्रीक राजा मिहिर ने अयोध्या पर आक्रमण किया। तत्पश्चात एक कुख्यात यवन लुटेरे महमूद गजनवी के भांजे सार मसूद ने इस नगरी पर आक्रमण किया। फिर तो अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपनी नृशंसता का नग्न नृत्य इस मोक्षदायिका नगरी पर किया। मुगल शहंशाह बाबर और औरंगजेब ने भी अपनी मजहबी आग इस नगरी पर बरसाया। भारतीय संस्कृति के उद्गम स्थल को तहस नहस करने के लिए सहस्त्रों भीषण आक्रमण, विदेशियों और विधर्मियों ने किये। उत्थान और पतन के इन झंझावातों में अयोध्या ने कभी पराभव देखा तो कभी वैभव परन्तु समाप्त नहीं हुई। वैदिक काल से लेकर आज तक का अयोध्या गौरव और पतन का इतिहास इस बात का प्रबल साक्षी है कि हिन्दू अपनी संस्कृति, अस्मिता और राष्ट्रीय मान बिन्दुओं की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने हेतु सदैव तत्पर रहता आया है और भविष्य में भी रहेगा।

बड़ी संख्या में ऐसे भी स्मारक हैं जिनका स्थान खोजना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे ही हजारों स्थानों का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया और वे स्मृति से दूर हो गये। कुछ स्थानों पर बनी मस्जिदें सचमुच इबादतगाह की तरह उपयोग होने लगीं और सहृदय हिन्दू समाज ने उनके इसी रूप को स्वीकार कर लिया। ऐसी ही एक घटना सन् 1526 में बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब घटित हुई। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसके आदेश पर अयोध्या पर आक्रमण किया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार 15 दिनों के घमासान युद्ध में 1 लाख 74 हजार हिन्दुओं के वीरगति प्राप्त करने के बाद ही मीर

बाकी मंदिर को तोप के गोलों से गिराने में सफल हो सका। उसने रामजन्मभूमि मंदिर के मलवे से उस स्थान पर दरवेश मूसा आशिकान के निर्देश पर मस्जिद जैसा एक ढ़ांचा खड़ा कर दिया। यद्यपि यह किसी भवन के मस्जिद होने की प्रारंभिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं करता। अयोध्या सहित समूचे भारत के हिन्दुओं की आस्था के केन्द्र रामजन्मभूमि पर स्थित मंदिर का ध्वंस भक्तों के लिये असहनीय वेदना का कारण बन गया। इसने रामजन्मभूमि की मुक्ति के लिये संघर्ष की एक विरामहीन श्रृंखला को जन्म दिया। 1528 से 1949 तक की कालावधि में जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिये 76 युद्ध हुए जिनमें लाखों रामभक्तों ने बलिदान दिया। इसलिए यह प्रमाणिक है कि भारत के लिये राम केवल पूजा के देव नहीं हैं। वे राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव, भारतभक्ति और मर्यादा के मानदंडों के अनुसार जीवन-व्यवहार करने वाले राष्ट्रपुरुष हैं, यह भारत के संविधान की प्रथम प्रति के प्रारंभ के पृष्ठों में राम का चित्र देकर भारतीय मनीषा और संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपमान के कलंक को धोने, गुलामी के चिन्हों को हटाने, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति पाने, आस्था-श्रद्धा व मानबिन्दुओं की रक्षा करने, भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने, राष्ट्र की चेतना को जगाने और राष्ट्रीय पहचान को प्रकट करने के प्रतीक के रूप में श्री रामजन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाना अत्यंत स्वाभाविक है। समूचे राष्ट्र को समवेत स्वर में इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये एकजुट होना पड़ेगा।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि अयोध्या मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोई कोशिश होगी या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब भी ऐसी कोई बातचीत होगी तो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक महत्व के साक्ष्यों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी। वर्ष 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के निर्देशानुसार हुई खुदाई में भी 50 से भी ज्यादा मंदिर स्तंभ मिले। इनमें मंदिर के शीर्ष पर पाई जाने वाली अमालका और मगरप्रणाली खासे अहम थे। कुल मिलाकर वहां से 263 प्रमाण हासिल हुए। उनके आधार पर एएसआइ ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भी इस पर मुहर लगाई। ऐसे में मुसलमानों को हिंदुओं की भावनाएं समझनी चाहिए। पिछली सुनवाई में अयोध्या मसले को संवेदनशील और आस्था से जुड़ा बताने वाले सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों इस आधार पर जल्द सुनवाई का आग्रह टाल दिया, क्योंकि ऐसा अनुरोध करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी इस मसले के पक्षकार नहीं और उन्होंने अपनी याचिका के बारे में दूसरे पक्षकारों को सूचित भी नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय के पास जल्द सुनवाई का आग्रह ठुकराने के पर्याप्त आधार हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब अयोध्या मसला आस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला नहीं रह गया है। अयोध्या मसले की संवेदनशीलता इस आधार पर खत्म नहीं होने वाली कि जल्द सुनवाई चाहने वाला कोई याचिकाकर्ता इस मामले का पक्षकार है या नहीं? अयोध्या मामला सदियों से संवेदनशील है और किसी अदालती टिप्पणी से उसकी संवेदनशीलता समाप्त नहीं होने वाली। अच्छा होता कि सर्वोच्च न्यायालय आपसी बातचीत से इस मसले के हल की संभावनाएं बनाए रखता। उसके ताजा रुख से तो बातचीत की संभावनाएं भी धूमिल होती दिख रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मसले की जल्द सुनवाई का आग्रह ठुकराने के साथ यह टिप्पणी भी की कि इस मामले की अभी सुनवाई की जरूरत भी नहीं और उसके पास समय भी नहीं। यह ऐसा मसला नहीं जिसकी अनदेखी की जा सके और यदि अनदेखी की जाती है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मामले के समाधान में हो रही देरी से अधीर हो रहे हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के करीब छह साल बाद अयोध्या मामले का संज्ञान लिया और फिर उसे ठंडे बस्ते की ओर धकेल दिया? जिस मसले पर सारे देश की निगाहें लगी रहती हैं और अयोध्या में मंदिर-मस्जिद को लेकर एक बयान मात्र देश भर में हलचल पैदा कर देता है उसके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी ठीक नहीं कि उसकी जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं। आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मसले की न्यायिक उपेक्षा का कोई मतलब नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रुख-रवैये से उन लोगों को भी निराश किया है जो इस मसले पर बातचीत के लिए माहौल बना रहे थे। किसी भी विवाद को यथास्थिति में बनाए रखने का कोई भी फैसला न तो तर्कसंगत कहा जा सकता है और न ही न्यायसंगत।

(लेखक, राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका के संपादक मंडल सदस्य हैं)

शिमला : सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ अभाविप की आक्रोश रैली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय आक्रोश रैली शिमला के आइस स्केटिंग रिंग मैदान में आयोजित हुई जिसमें हजारों छात्र और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सरकार के दमनात्मक नीतियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा उबाल था, जो इस रैली में साफ तौर पर नजर आ रहा था।

आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने कहा कि अभाविप सत्ता परिवर्तन में नहीं अपितु सामाजिक और व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करती है। अगर हालात नहीं सुधरे तो अभाविप सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखती है। सरकार की गलत नीतियों और छात्र विरोधी फैसलों के खिलाफ अभाविप हमेशा से संघर्ष करते आयी है। उन्होंने कहा कि हम रूसा के विरोधी ने नहीं है बल्कि रूसा में सम्मिलत सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम पर हमें आपत्ति है।

श्री बिदरे की मानें तो हिमाचल प्रदेश के 114 महाविद्यालयों में 1500 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। जबकि इस सिस्टम में छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 होना चाहिए। ऐसे में नए सिस्टम के तहत पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। यह सिस्टम पूरी तरह से अव्यवहारिक व अवैज्ञानिक है। सरकार इसके लिए अभी तक मूलभूत और ढांचागत सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाई है। मध्य प्रदेश में सेमेस्टर सिस्टम बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षक कैसी शिक्षा? प्रदेश में छात्राओं के छात्रावास तक नहीं होना यह दर्शाता है कि सरकार महिला शिक्षा को लेकर कितना लापरवाह है। सरकार ने शुल्क बढ़ाने, रूसा सिस्टम लागू करने, छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाकर लोगतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। अगर हालत नहीं सुधरे तो इससे भी बड़े आंदोलन होंगे।

श्री बिदरे ने कहा कि प्रदेश सरकार में अलग से शिक्षा मंत्री तक नहीं है जिससे सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता साफ नजर आती है। उन्होंने सरकार से सस्ती, सुलभ और गुणात्मक शिक्षा सुविधा देने की मांग उठाई।

अभाविप की मांगें –

1. स्नातक स्तर पर रूसा को बंद किया जाए।
2. शुल्क बढ़ोतरी वापस हो।
3. निजीकरण के नाम पर शिक्षा का व्यापारिकरण बंद हो।
4. छात्र संघ चुनावों की बहाली की जाए।
5. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्ता सुनिश्चित की जाए।
6. केन्द्रीय विश्वविद्यालय भूमि चयन पर राजनीति बंद हो।
7. महाविद्यालय में आधारभूत ढ़ांचों को सुदृढ़ किया जाए।
8. एसएससीए पीटीए तथा आउट सोर्स की नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगे।
9. निजी बीएड महाविद्यालयों में अध्यापक का शोषण बंद हो।
10. रेगुलटरी कमीशन का अध्यक्ष व सदस्य शिक्षाविद् ही बनाया जाए।
11. राजनीतिक आधार पर अध्यापकों के तबादले बंद हो और बैज आधार पर भर्ती की जाए।
12. सकल घरेलु उत्पाद का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च हो।
13. प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पुराने पाठ्यक्रम को बदला जाए।
14. निजी स्कूलों की फीस, वर्दी व किताबों की खरीद में मनमानी पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग का गठन किया जाए।

वहीं श्री बिदरे ने प्रदेश में बैकडोर से शिक्षा विभाग में भर्तियां करने, बरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश में करीब 16 लाख बेरोजगार हैं। सरकार उन्हें रोजगार के अवसर देने में नाकाम रही है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों की चल रही लूट को रोकने को सख्त नियामक आयोग स्थापित करने की मांग की।

रैली को राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनिल आंबेकर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री नवीन शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी और अभाविप की हिमाचल प्रदेश प्रांत मंत्री हेमा ठाकुर ने संबोधित किया।

देश भर के लिये प्रेरणा बनेगा हिमाचल प्रदेश का यह छात्र आंदोलन : सुनील आंबेकर

आक्रोश रैली में आए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि आक्रोश रैली पूरे देश भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा साबित होगी। कैसे एक छोटे से प्रदेश में हजारों युवा बदलाव और अपनी मांगें पूरी करने आक्रोश रैली में एकजुट हुए हैं। हालात न सुधरे तो सरकार को सत्ता से बाहर भी होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के आगे दुनिया मान रही है कि देश आगे बढ़ रहा है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के हर नागरिक ने राष्ट्रहित में सोचना आरंभ किया है। लेकिन कुछ ताकतें देश को तोड़ने के काम में लगी हुई हैं जिनका हर जगह भंडाफोड़ हो रहा है। अबेंकर ने कहा कि हिमाचल के लोग बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में पूरी तरह सक्षम हैं लेकिन प्रदेश सरकार की फीस बढ़ोतरी, रूसा सिस्टम शिक्षा का निजीकरण, आधारभूत ढांचे का भाव आदि ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो छात्रों को सड़को पर उतरने को मजबूर कर रही है।

सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पनपा गुस्सा: श्रीनिवास

रैली को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों को छलने का काम किया है। चार सालों में सरकार की शिक्षा को नजरअंदाज करने की नीतियों और युवा बेरोजगारों से धोखा करने के खिलाफ पनपा गुस्सा है, जो आने वाले समय में और उग्र होगा। यदि नीतियों में सुधार न हुए सुधार न हुए तो यह आंदोलन और उग्र होगा।

वहीं उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री नवीन शर्मा ने कहा कि अभाविप कार्यकर्ता बेहद अनुशासित होते हैं। लेकिन

जब छात्रों के हितों की अनदेखी होती है तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। इस रैली में स्वेच्छा से युवा आए हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने एक-एक घर और परिसर में चंदे के रूप में धन एकत्र किया।

अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी ने शिक्षण संस्थानों की मनमानी और लूट को उजागर किया। उन्होंने बताया की इस आक्रोश रैली में प्रदेश भर से 16000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

रैली से ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी और दर्जनों के हिसाब से जवान ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगे थे। इसमें मदद के लिए अभाविप ने अलग से कार्यकर्ता तैनात किए थे। जिन्होंने पुलिस का सहयोग किया। छात्रों की संख्या को देखते हुए अभाविप के सैंकड़ो कार्यकर्ताओं ने यातायात सुचारु करने में जिम्मेदारी निभाई। अभाविप की अभाविप की आक्रोश रैली चौड़ा मैदान से शुरू हुई। जहां से विधानसभा चौक- विक्ट्री टनल, विंटर फिल्ड, सेंट थॉमस होते हुए शाही सिनेमा और वहां से लोकल बस स्टैंड होते हुए आईस स्केटिंग रिंग पहुंची।

रैली के बाद अभाविप ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में रूसा सिस्टम को तुरंत प्रभाव से हटाने, फीस वृद्धि को वापस लेने, छात्र संघ चुनावों की बहाली, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, निजी विद्यालय की शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने के लिए नियामक आयोग का गठन करने आदि मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ■

प्रिय मित्रों!

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अप्रैल, 2017 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें:

संपादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

मुथुकृष्णन का संघर्ष जिन्दा है!

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

|डॉ. निकुंज मकवाणा|

वामपंथ के गढ़ कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन केंद्र के छात्र मुथुकृष्णन का असमय अवसान अत्यंत दुखदायक व पीडादायक है। इससे भी अधिक पीड़ा दायक और असहनीय वह था जो मुथुकृष्णन को सहना पड़ रहा था - जेएनयू जैसे आधुनिक शैक्षणिक परिसर में किसी छात्र को भाषागत एवं जातिगत भेदभाव सहन करने पर मजबूर किया जाए, शिकायत करने पर भी उसकी सुनवाई न हो,और तंग आकर मृत्यु को गले लगाना पड़े इससे अधिक दुखद क्या हो सकता है? दुर्भाग्य की पराकाष्ठा तो तब होती है जब 'क्रांति का ड्रामा' करने वाले वामपंथी इस मामले की जाँच के बदले, इस मामले को दबाने पर ज्यादा जोर दे रहे हो।

मुथुकृष्णन तमिलनाडु के सेलम जनपद के निवासी थे। अनुसूचित जाति के छात्र मुथुकृष्णन का अनेक बार प्रयास करने के बाद जेएनयू में एडमिशन हुआ था। स्वयं मुथुकृष्णन का मानना था की अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ नहीं होना ही उसके एडमिशन की सबके बड़ी बाधा थी, जिसके कारण पर्याप्त प्रतिभा होने के बावजूद भी सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीस ने उसे अपने चौखट से बार- बार ठुकराया। एमफिल के कोर्स-वर्क के दौरान मुथु के 'रिसर्च प्रपोजल' को 37 बार लौटाया गया और कमियाँ निकालने के लिए कभी भाषा का बहाना बनाया गया, तो कभी रिसर्च टॉपिक पर असहमति दिखाई गई। स्वयं मुथु के अनुसार कई बार रिसर्च प्रपोजल ठुकराने के लिए प्रोफेसरों द्वारा कई बचकाने तर्क दिए गए। एक आदर्श विद्यार्थी में जो लगन होनी चाहिए, वो लगन मुथुकृष्णन में थी। इसलिए उसने अंग्रेजी नामक 'अभिजात्य' बाधा को भी पार कर जेएनयू

जैसे संस्थान में एडमिशन लिया था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बराबरी, समानता, आजादी जैसे नारों से जिस जेएनयू की दीवारें पटी पड़ी हैं, उसी जेएनयू में वामपंथी प्रोफेसर स्वयं गैर-बराबरी के हिमायती हैं और भेदभाव में सिद्ध-हस्त हैं।

आसानी से समझा जा सकता है की रिसर्च प्रपोजल को लौटाने के जो कारण बताये गए वे वास्तविक नहीं थे, बल्कि कुछ और ही थे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि 38 वीं बार उसके प्रोपोजल को स्वीकार कर लिया जायेगा। मुथु फेसबुक पर भी अक्सर लिखा करता था कि वहाँ के प्राध्यापक और उनके चहेते छात्र उसके साथ भेदभाव करते थे। उसकी फेसबुक पोस्ट पर कमसे कम चार ऐसे प्रोफेसरों का नाम आया है, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। मुथु हिस्ट्री सेंटर के जानेमाने वामपंथी प्रोफ़ेसर नीलाद्री भट्टाचार्य के निर्देशन में अपना शोध करना चाहता था, और इस बात से उसने अपने संभावित निर्देशक प्रो.बर्टन क्लीटस को भी अवगत करा दिया था। लेकिन प्रो.नीलाद्रि भट्टाचार्य के अनुसार शायद मुथु की भाषा इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उसे अपना छात्र बनने योग्य समझें, और इधर प्रो. बर्टन क्लीटस ने भी मुथु को अपने निर्देशन में लेने से इंकार कर दिया था। मुथु की स्थिति मझधार में फंसी हुई नाव की तरह हो गयी थी। मुथु की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की जब हिस्ट्री सेंटर के सभी प्रोफेसर ने उसकी बात को सुनने से इंकार कर दिया तो उसने इस विषय में "स्कूल ऑफ़ सोशल साइंस" के डीन से भी इस बारे में शिकायत की थी। इसपर भी कोई सुनवाई नहीं की गई, और ऊपर से "एलीट कल्चर" में मदहोश कुछ छात्रों ने भी मुथु के साथ भेदभाव जारी रखा। हो सकता है की इन सभी परेशानियो से तंग आकर ही सदा हँसते रहनेवाले छात्र मुथु ने 'मृत्यु' को चुना हो।

"स्कूल ऑफ़ सोशल साइंस" जिसे वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, वो भेदभाव और अन्याय का भी गढ़ है। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जो छात्र कान्वेंट स्कूल से नहीं पढ़े या सेंट जेवियर, सेंट स्टीफन, प्रेसीडेंसी जैसी अभिजात्य संस्थानों से नहीं पढ़ पाये, उन्हें "स्कूल ऑफ़ सोशल साइंस" में कदाचित ही एडमिशन दिया जाता है, और अगर एडमिशन दिया भी जाता है तो वो "ड्राप आउट"(Drop-Out) का शिकार बनते है।

इतिहास अध्ययन केंद्र के 28 प्रोफेसर में से 25 अध्यापक जेएनयू से ही पढ़ें हैं। अब ऐसा तो बिलकुल नहीं है की प्रतिभा सिर्फ इन्ही एलीट (elite) संस्थानों से ही निकलती है। तो फिर सवाल यह उठता है की ऐसा क्यों है की अन्य जगहों से आये हुए लोगों को इतिहास अध्ययन केंद्र ने छात्र या शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया? निश्चित रूप से ये वामपंथी छद्म बुद्धिजीवियों की अभिजात्यवादी सोच है जो अंग्रेजीदां तहजीब को ही एकमात्र स्वीकार्य और वरेण्य मानती है।

इतिहास अध्ययन केंद्र के 28 प्रोफेसर में से 25 अध्यापक जेएनयू से ही पढ़ें हैं। अब ऐसा तो बिलकुल नहीं है की प्रतिभा सिर्फ इन्ही एलीट (elite) संस्थानों से ही निकलती है। तो फिर सवाल यह उठता है की ऐसा क्यों है की अन्य जगहों से आये हुए लोगों को इतिहास अध्ययन केंद्र ने छात्र या शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया? निश्चित रूप से ये वामपंथी छद्म बुद्धिजीवियों की अभिजात्यवादी सोच है जो अंग्रेजीदां तहजीब को ही एकमात्र स्वीकार्य और वरेण्य मानती है।

देश के शिक्षण संस्थानों पर आजादी के बाद से ही वामपंथी ताकतों का कब्जा रहा है। इन ताक़तों ने विश्वविद्यालयों में देश-विरोधी विचारधारा का विष फ़ैलाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया की समाज के निचले तबके के लोग उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षण संस्थानों में टिकने के पैमाने कुछ इस प्रकार से बनाये गये की उसमे सिर्फ एलीट वर्ग ही रह सके। ग़रीब और सामान्य परिवारों की प्रतिभाओं को घुटन और भेद-भाव का शिकार होना पड़ता रहा है। मुथु की मृत्यु ने एक बार फिर से वामपंथियों के चेहरे पर से नकाब उतार दिया है।

जब कोई छात्र आत्महत्या करता है तो पुरे छात्र समुदाय का हौसला टूटता है। जेएनयू जैसे तथाकथित समावेशी और प्रोग्रेसिव कहे जाने वाले संस्थान में घटी इस दुर्घटना के बाद कैम्पस के लगभग हर छात्र के मन में यह सवाल था कि – 'यह वामपंथ का पाखंड आखिर

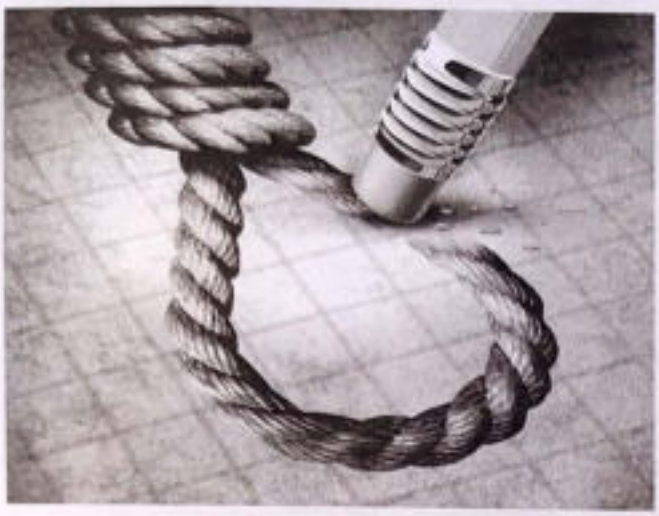

कब तक चलेगा?' एक तरफ तो आजादी की मांग करते हुए अतिवाद में चले जाना और देश के टुकड़े करने की मांग करना ; वही दूसरी और, समाज के वंचित तबके से आये हुए एक संघर्षशील छात्र को मृत्यु के मुहाने पर धकेलना – ये दोनों ही वामपंथी चरित्र का हिस्सा है।

हर बात पर तिल का ताड़ बनानेवाले वामपंथी संगठनो ने मुथु की मृत्यु को नजरंदाज किया और इस बात का पूरा प्रयास किया की ये घटना बहस का मुद्दा न बने और न ही मुथु को न्याय मिले। और ऐसा क्यों न हो – क्योकि वामपंथी गुटों के आका इस पुरे मामले में दोषी पाए जाते है, अपने वामपंथी मंत्रदाताओ के खिलाफ आइसा(AISA), एसएफआई(SFI), डीएसएफ (DSF), बासो (BASO) कैसे खड़े हो सकते थे? कहने के लिए ये छात्र संगठन है लेकिन इनका नियंत्रण फैकल्टी में बैठे हुए कॉमरेड ही करते है। एक नये आनेवाले छात्र के दिमाग में वामपंथी या यू कहे की राष्ट्रविरोधी विचारधारा ये प्रोफ़ेसर ही भरते है और परदे के पीछे रहकर जेएनयू एवं देश विरोधी राजनीति को चलाते रहते है।

यहाँ आश्चर्यजनक तो यह भी था की अनुसूचित जाति के हितों की बात करने वाले बाप्सा(BAPSA), यूडीएसएफ (UDSF) जैसे संगठनो ने भी मुथु की मृत्यु पर महज औपचारिकताएं ही निभाई। पूरे कैंपस में सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ही एकमात्र संगठन था जिसने मुथु के साथ हुए भेदभाव के मुद्दे को उठाया और इस दुखद घटना की सच्चाई बहार लाने के लिए सीबीआई जाँच की भी मांग की।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पूरे जेएनयू में वामपंथी छात्रों एवं प्रोफेसरों के द्वारा किये जानेवाले अत्याचारों का शिकार रहा है। अभाविप से जुड़े हुए अनेक छात्रों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जाता है। परीक्षा में नंबर व ग्रेड कम देना, कक्षा में भेदभाव करना और अपने राष्ट्रवादी विचारों के लिए बेमतलब का अपमान सहते रहना, यह सब अभाविप कार्यकर्ताओं की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हमारे संगठन के साथ वंचित तबको से आये हुए छात्र- छात्राएं हैं जो शायद ऑक्सफ़ोर्ड की अंग्रेजी और अंग्रेजियत को नहीं जुटा पाए हों, लेकिन गांवों और कस्बो की सच्चाई और समस्याओ को वे अपने अनुभवों से जानते है। हमारे पास विचारों की पूंजी है। लेकिन सिर्फ किताबों के पन्नों से हम राष्ट्र की परिभाषा तय नहीं करते, हम खुद को इस समाज और राष्ट्र का हिस्सा मानते है और राष्ट्र निर्माण में जहाँ संभव हो वहां अपना योगदान करते हैं।

मुथु को जो समस्याए हो रही थी वह सिर्फ मुथु की समस्या नहीं है, बल्कि वामपंथी एवं राष्ट्र विरोधी विचारधारा को न माननेवाले हजारो छात्र-छात्राए अभी भी ऐसी ही समस्याओ से पीड़ित है। इसलिए हमने ये ठान लिया है की इस मुद्दे पर हम न्याय के लिए लड़ेंगे, ताकि कोई अन्य 'मुथु' मजबूर होकर मृत्यु को गले न लगाये। विद्यार्थी परिषद् परिवार की ओर से मुथुकृष्णन के लिए यही सच्ची श्रधांजलि होगी।

मुथु को जो समस्याए हो रही थी वह सिर्फ मुथु की समस्या नहीं है, बल्कि वामपंथी एवं राष्ट्र विरोधी विचारधारा को न माननेवाले हजारो छात्र-छात्राए अभी भी ऐसी ही समस्याओ से पीड़ित है। इसलिए हमने ये ठान लिया है की इस मुद्दे पर हम न्याय के लिए लड़ेंगे, ताकि कोई अन्य 'मुथु' मजबूर होकर मृत्यु को गले न लगाये। अभाविप की ओर से मुथुकृष्णन के लिए यही सच्ची श्रधांजलि होगी।

(लेखक जेएनयू में स्कुल ऑफ़ सोशल साइंस के छात्र एवं अभाविप, जेएनयू इकाई के मंत्री है)

डूसू द्वारा प्रथम दिव्यांग मैराथन का आयोजन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ(डूसू) द्वारा पहली बार आयोजित पैरा-ओलोपिंक मैराथन में देशभर के कुल 16 विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। यह पैरा-ओलंपिक 23 से 24 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर स्थित पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया। जिसमें देशभर के करीब 450 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की थीम "दौड़ेगा दिव्यांग - दौड़ेगा हिन्दुस्तान" थी।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। परंतु खेल के प्रति अच्छे दृष्टिकोण और खिलाड़ियों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जरूरत है। खासकर दिव्यांग विद्यार्थियों को खेल हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। डूसू द्वारा दिव्यांगो के लिए किया गया यह आयोजन सराहनीय है।

दिल्ली अभाविप के प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि डूसू द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का आयोजन अनोखी पहल है। समय-समय पर इस तरह के आयोजन को डूसू को करते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के प्रतिभा का विकास हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि डूसू द्वारा आयोजत यह कार्यक्रम देशभर के विश्वविद्यालय को नई दिशा देने का काम करेगी।

डूसू अध्यक्ष अमित तंवर ने बताया कि दिव्यांगो के लिए कार्यक्रम आयोजन करने का विचार कई महीनों से चल रहा था। विश्वभर में दिव्यांग अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। श्री तंवर की माने तो इस आयोजन में देशभर के 16 विश्वविद्यालय के प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इनमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 21 केटेगरी में 11 इवेंट हुए जिसमें शॉटपुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, 100 मीटर का रेस, 500 मीटर का रेस, व्हीलचेटर रेस, लॉग्ग जम्प आदि शामिल है। इस आयोजन में करीब 450 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 150 से अधिक छात्र दिल्ली के बाहर के थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र के साथ क्रमशः 1500, 1000 और 500 की राशि प्रदान की गई। इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ-साथ एडवेंचर ऑफ आइलैंड के मनोरंजन पास भी दिये गये। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से आत्मसंतुष्टि मिलती है। आने वाले दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मैराथन आयोजित किया जायेगा।

आयोजन के समापन सत्र में अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री अजय ठाकुर मौजूद थे। ■

अभाविप ने संविधान के शिल्पी को किया याद

संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 126वीं जयंती को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने देश भर में समरसता दिवस के रूप में मनाया। आंबेडकर जयंती पर कहीं शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त समाचार–

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में अभाविप द्वारा आंबेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समरसता, एकता, महिला सशक्तिकरण को लेकर जीवन भर कार्य किया। श्री खटाना ने कहा कि जब डॉ. आंबेडकर ने यह कार्य शुरू किया था उस समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी।

इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में स्वच्छता के लिए जनजागरूकता अभियान चलाते हुए भीम राव आंबेडकर पुस्तकालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभाविप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई छात्रों ने भाग लिया।

पंजाब

अभाविप पंजाब के द्वारा आंबेडकर समरसता संदेश यात्रा निकाली गई जो श्री रामायण काल के पावन स्थल श्रीराम तीर्थ से शुरू हुई। बाबा साहेब संदेश यात्रा पंजाब के 22 जिलों से होती हुई 14 अप्रैल 2017 को बाबा साहेब की 126 जयंती की शुरुआत पर चंडीगढ़ में समाप्त हुई। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर स्थानीय हिन्दू कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन राजेश बाघा ने कहा कि डॉ. आंबेडकर में भारतीयता की भावना इस कद्र प्रचंड थी कि जब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम पहले भारतीय है फिर हिन्दू-सिक्ख या मुसलमान है, तब डॉ. आंबेडकर ने कहा कि हम पहले भी भारतीय और अंत में भी सिर्फ भारतीय ही है। श्री बाघा ने कहा कि डॉ.

आंबेडकर के दर्शन का समग्रता में चिंतन होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य-वक्ता अभाविप के प्रदेशाध्यक्ष डा. शिव डोगरा थे। अभाविप के पंजाब प्रांत संगठन मंत्री सूरज भारद्वाज ने संगठन की कार्य प्रणाली की जानकारी उपस्थित कार्यकर्ताओं को दी। प्रांत मंत्री सौरभ कपूर ने यात्रा के बारे में विचार से अवगत करवाया। जिला अमृतसर के रोहिला ने उपस्थिति का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में छात्रों के एक समूह ने सनातन सूफी प्रस्तुति देकर उपस्थिति की वाहवाही लूटी। संस्कार भारती ने भी नाटक प्रस्तुत किया। उपस्थिति में शामिल गणमान्यों ने आरटीआई कमिशन की सदस्य डा. विनय कपूर, आरटीएस कमीशन के सदस्य श्री पंकज, धर्म जागरण समन्वय विभाग के संयोजक राम गोपाल, संजीव भारद्वाज, श्री पराशर आदि शामिल थे।

बिहार

अभाविप पटना के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 126वी जयंती पर 'लहु के रंग एक' रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बैद्यनाथ मिश्रा, विश्वविद्यालय के सिंडिकेड सदस्य प्रो. मुरारी शरण मांगलिक एवं अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री नीखिल रंजन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुधीर कुमार श्रीवास्तव एवं मगध विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति कुतेश्वर प्रसाद भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटना विश्वविद्यालय के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बैद्यनाथ मिश्रा ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा हेतु बड़ी संख्या में रक्तदान करके अभाविप ने सराहनीय कार्य किया है। आज की वर्तमान पीढ़ी ने मानवीय गुणों के विकास एवं समाज के प्रति संवेदना तथा जाति मुक्त समाज की स्थापना हेतु अभाविप का प्रयास अतुलनीय है।

वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री निखिल रंजन ने कहा कि भाव जागरण से ही सामाजिक परिवर्तन फलीभूत हो सकता है। अभाविप निरंतर अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों से छात्र युवाओं को प्रतिबद्ध कर रही है। आज का रक्तदान आनेवाले समय के लिए भावी पीढ़ी का निर्माण का कार्य है। जो पीढ़ी समरसता का संदेश लेकर समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में पीरोकर राष्ट्रवाद का निर्माण करने वाली पीढ़ी का परिचायक है।

पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य डॉ. मुरारी शरण मांगलिक ने कहा कि बाबा साहेब भारतीय सभ्यता के सदैव पोषण रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्ष करते हुए देश को एक दिशा दिया, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।

अभाविप बेगुसराय इकाई द्वारा होलीफैथ पब्लिक स्कूल वीरपुर के प्रांगण में डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये जिला संयोजक राजा कुमार ने कहा कि संविधान निर्माता के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिये। जिला सह संयोजक कार्तिक कुमार ने कहा कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के साथ ही कर्तव्यों का निर्वहन कर ही एक बेहतर देश का निर्माण किया जा सकता है। वक्ताओं द्वारा आंबेडकर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। मौके पर स्कूल के निदेशक संजीव कुमार, शिक्षक वैद्यनाथ यादव, मनोहर विद्यार्थी, राजेश रंजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया गया।

झारखंड

रांची में बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने बाबा साहेब के जीवन परिचय और उनके उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को परिचित कराते हुए कहा कि बाबा साहेब ने समरस भारत की कल्पना की थी, उसे हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। समरस समाज के बिना समर्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बाबा साहेब ने संविधान बनाते समय गरीब पिछड़े अनुसूचित जाति/जनजाति का विशेष ख्याल रखा और उसे समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड के 20 जिलों में लगभग 58 स्थानों पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3500 से ऊपर की संख्या उपस्थित थी। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की और संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व वनवासी-पिछड़ों की हितो की रक्षा का संकल्प लिया। ■

"भारत केन्द्रित शिक्षा नीति बने"

- डॉ. नागेश ठाकुर

डॉ. नागेश ठाकुर मूलत: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित जोगिन्दर नगर से हैं। इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। भौतिकशास्त्र में शोध कार्य (पी.एच.डी.) पूरा करके उसी हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला में ये प्राध्यापक हैं। इनका 75 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न शैक्षिक मूद्दों पर इनका गहन अध्ययन है, साथ ही तिब्बत समस्या, कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद, युवाओं के जीवन में नैतिक मूल्यों एवं आचार आदि विषयों पर भी श्री ठाकुर समान रूप से अधिकार रखते हैं।श्री ठाकुर पहाड़ी हिमाचल प्रांत में वामपंथी आंदोलन को परास्त करते हुए राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुए हैं। श्री ठाकुर विद्यार्थी परिषद् में प्रदेश अध्यक्ष एवं 2004-2007 तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में आप अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। शैक्षिणिक परिसरों में व्याप्त समस्याओं, परिषद् की कार्यशैली, नई शिक्षा नीति आदि मुद्दों को लेकर "राष्ट्रीय छात्रशक्ति" संवाददाता अजीत कुमार सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नागेश ठाकुर से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश...

नई शिक्षा नीति को लेकर काफी बातें हो रही है तथा यह अभाविप के मुख्य ऐंजेडे में भी शामिल है। नई शिक्षा नीति के बारे आपका क्या कहना है, आप किस तरह की शिक्षा नीति सरकार से लागु करने की अपेक्षा रखते हैं?

नई शिक्षा नीति के बारे में जब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की और जनता से सुझाव मांगे तो अभाविप ने देश भर के जनता, छात्र और शिक्षाविदों से मिलकर उनके सुझाव एकत्रित किये। इस दौरान देशभर के 200 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम किये गये। राष्ट्रीय स्तर पर कोलकाता और वैलुर में एक संगोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के शिक्षाविदों ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किये थे। इसके आधार पर अभाविप ने डिमांड चार्टर तैयार कर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपा था। हमने सरकार से मांग की थी कि इस कमेटी में कोई शिक्षाविद् नहीं, यह एक तरफ से ड्राफ्ट कमेटी है। इसमें किसी शिक्षाविद् होना चाहिए। नये शिक्षा मंत्री ने हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कहा है कि सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया जायेगा एवं सुब्रमण्यम कमेटी के सुझाव भी उसमें शामिल किये जायेंगे। अभाविप का स्पष्ट मानना है कि मैकाले द्वारा जो शिक्षा नीति सौंपी गई है, इस नई शिक्षा नीति में मैकाले

नीति से बाहर निकलकर भारत केन्द्रित शिक्षा नीति बने। जो भारत के युवाओं में भारतीयता का संचार कर चरित्र का निर्माण करे।

अतंर राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) के स्थापना का हाल ही में 50 साल पूरा हुआ है, सील यात्रा के उद्देश्य के बारे में बतायें?

'सील' यात्रा की शुरूआत 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा देश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोंगो के बीच भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आजादी के कई वर्षों के बाद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था तो अभाविप ने उस क्षेत्र के छात्रों को बाकी भारत के हिस्सों के बारे में को जानने व आपसी संवाद बढ़ाने के लिए सील यात्रा आरंभ की थी। सील अपने स्थापना का 50 वर्ष पूरा कर चुका है। पूर्वोतर के युवा भारतीय सीमा पर प्रहरी की भूमिका अदा करते है। जब पूर्वोत्तर के छात्र भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर वहां के स्थानीय परिवार में रूकते हैं तो उनका उस परिवार से भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। जिस कारण भारत की एकता और अखंडता सुदृढ़ होती है। सील के कारण ही वहां के युवा अपने देश भर की बोल-चाल, वेश-भूषा, खान-पान के बारे में जान सके। महिला सशक्तीकरण की बात करने वालों को एक बार पूर्वोत्तर राज्यों में जरूर जाना चाहिए, वहां महिलायें परिवार की मुखिया होती है। पहले लोग पूर्वोतर जाने से कतराते थे लेकिन सील यात्रा के बाद पूर्वोतर में जाने वालों की तादाद बढ़ी है।

आने वाले समय में कौन से ऐसा क्षेत्र में अभाविप अपने कार्य का विस्तार करने वाली है या यूं कहें कि जो क्षेत्र आपके लिए अछूता रह गया हो?

अभाविप की पहुंच लगभग सभी जगहों पर हो चुकी है। अभाविप एक ऐसे छात्र संगठन के रूप में उभरा है जो समाज के केन्द्र में है। यही कारण है कि समाज की विद्यार्थी परिषद् से दिनोंदिन अपेक्षा बढ़ती जा रही है। समाज में समरसता कायम हो एवं सुदूर क्षेत्र में रहने वाले घरों तक विकास की रौशनी पहुंचे, इसको लेकर पिछले साल देश भर में सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम चलाया गया। खासकर, मध्य भारत प्रांत और उत्तराखंड प्रांत के छात्रों ने नदियों के जल के संरक्षण, उसकी शुद्धता के बारे में सर्वेक्षण करने का प्रयास किया, जिस कारण नर्मदा नदी का शुद्धीकरण कार्य प्रारंभ हुआ। नदियों के जलों का संरक्षण और शुद्धिकरण करने की दिशा में अभी काफी काम करना बाकी है।

1948 से अभाविप की यात्रा शुरू हुई, इस कालखंड में देश में कई बदलाव आये, खासकर युवाओं में, ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद् की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं?

वर्तमान समय में लोंगो में देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जगा है। देश के युवा, समाज के प्रति संवेदनशील हुआ है, उनके मन में देश के प्रति कुछ करने की ललक पैदा हुआ है। वर्तमान समय में राष्ट्रवाद की भावना छात्रों में विकसित हो चुकी है। अभाविप ने 1948 में जो सपना लेकर काम करना शुरू किया था, वो फलीभूत होते दिख रही है। वर्तमान समय के विद्यार्थी, भारत के विकास में सरकार की ओर न ताकते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभाग होने की इच्छा रखता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लेकिन कुछ अराष्ट्रीय तत्व हैं जो भारत के विकास को देखना नहीं चाहते, वे इस देश की मिट्टी के खिलाफ युवाओं को भड़काने का काम करते है। देश के हर युवा में देशभक्ति का संचार करना हमारा लक्ष्य है।

आपने उल्लेख किया कि कुछ अराष्ट्रीय तत्व हैं जो हमारी विरासत को चुनौति देने का काम किया। ऐसे समय में परिषद् इस मुद्दे को किस प्रकार से देखती है?

समृद्ध और वैभवशाली भारत बनाने की संकल्पना लेकर परिषद् के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में वामपंथ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वैचारिक रूप से वामपंथ की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। वे अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। वामपंथ विचारधारा को आज के युवा सहयोग नही दे रहे हैं, देश के प्रीमियर संस्थान से लेकर सामान्य संस्थान के छात्र विद्यार्थी परिषद् से जुड़ना चाहते हैं और देश के विकास में रचनात्मक रूप से काम करना चाहते हैं।

विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेगें?

विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से देशभक्त व चरित्रवान होते है। उसे अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। परिषद् के विचारों को व्यावहारिक तौर पर अपने-अपने क्षेत्रों में ढ़ालने का प्रयास करे जिससे आने वाले समय में भारत फिर से विश्व गुरू बन सके। ■

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व शैक्षणिक अनियमितता के खिलाफ अभाविप का धरना

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व शैक्षणिक अनियमितता को लेकर अभाविप का करीब एक सप्ताह तक चला धरना 2 अप्रैल को खत्म हुआ। मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के एक कमेटी गठित किए जाने व जांच के आश्वासन के बाद अभाविप ने फिलहाल धरना खत्म कर दिया है। संगठन का कहना है कि उनकी जायज मांगों पर कुलपति सकारात्मक रूख अख्तियार करें तथा छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के साथ ही विवि में पारदर्शी प्रशासनिक-शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें।

कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने अभाविप की मांग पर एक कमेटी गठित कर आरोपों की जांच कराने का आश्वासन दिया है। अनशन पर बैठे अभाविप के प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह और विभाग संयोजक चक्रपाणि ओझा ने कुलपति के आश्वासन पर अनशन खत्म किया।

अभाविप के प्रदेश मंत्री भूपेंद्र ने बताया है कि उपरोक्त सभी मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचारों को बनाए रखने और इस संदर्भ में उठ रहे आरोपों को दबाने में कुछ अधिकारियों का अहम रोल है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। छात्रों का आरोप है, भ्रष्टाचार के इस खेल में कुलपति, निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक की भूमिका सवालों के घेरे में हैं। विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ओपी उपाध्याय फिजी के एक महिला से रेप का दोषी है, जिसे 18 माह की सजा हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर इस महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया है।

गौरतलब है कि बीएचयू में 1997 से छात्रसंघ भंग है। छात्रों की विश्वविद्यालय के प्रशासनिक गतिविधियों में सीधी भागीदारी नहीं होने से विवि भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। पूर्वांचल के गरीबों के इलाज का बड़ा केंद्र विश्वविद्यालय का सरसुंदर लाल चिकित्सालय भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बना हुआ है। यहां पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर संचालित सिटी स्कैन सेंटर, दवा दुकानों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। ट्रामा सेंटर में खरीद- फरोख्त और विनिर्माण में भारी कमीशनखोरी के मामले भी सामने हैं। इन भ्रष्टाचारों की सीधी मार पूर्वांचल की करोड़ों गरीब जनता व छात्रों पर पड़ रहा है। छात्रों का विरोध इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर है। ■

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सात वर्ष

सरकारी शिक्षा की बदहाल हकीक़त

| अभिषेक रंजन |

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा भारतीय संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21-क मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। वही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों को शिक्षा एक अधिकार के रूप में देने की बात है, जिसमें अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों के जरिये संतोषजनक और एकसमान गुणवत्तां वाली पूर्णकालिक प्रांरभिक शिक्षा की बात है।

आरटीई अधिनियम को लागू हुए 7 वर्ष बीत चुके है। जाहिर सी बात है, इसके प्रभाव को लेकर एक बहस चलनी चाहिए थी कि आखिर जो संकल्प इस अधिनयम के जरिये लिए गये थे, क्या वे पुरे होते दिखाई पड़ते है? हालात तो अलग ही तस्वीर दिखाते है।

आरटीई अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क और अनिवार्य' शब्द का उल्लेख हैं। यहाँ 'निःशुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे को बिना किसी शुल्क के शिक्षा मुहैया कराना। 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। यह अधिनियम विशेष रूप से शिक्षा से वंचित व गैर-प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान भी करता है। देश के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इस सोच के साथ दी गई बच्चै के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए यह अधिनियम केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है।

मगर जमीन पर हालात देखते है तो मालूम चलता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को देने के लिए स्थापित विद्यालयों में साल-दर-साल नामांकन घट रहा है और बच्चें निजी विद्यालयों का रुख कर रहे है, जहाँ फीस देकर अभिभावक पढ़ाना ज्यादा उचित समझ रहे है। गाँव में आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चें विरले ही सरकारी विद्यालयों में दिखाई देते है। कारण ढूंढने पर कई आश्चर्यजनक बातें मालूम पड़ती है। कई लोग

निःशुल्क पढ़ाने को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते है और अपने बच्चों को शुल्क देकर भेजने में ज्यादा गर्व महसूस करते है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को भेजने वाले परिवार समाज के निशाने पर होते है। मुफ्त की शिक्षा सुनने में ठीक लगती है लेकिन इसका महत्व और इसका सम्मान घट रहा है, यह मानने में कोई गुरेज नही होना चाहिए।

आरटीई अधिनियम अपने पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की बात करता है, साथ ही ऐसे विद्यालयों के लिए कुछ मानक भी तय कर रखे है। इन मानकों में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अन्य संरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदण्डों और मानकों को निर्धारित किया गया है।

यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसने हजारों विद्यालयों की बलि ले ली, लाखों बच्चों को उनकी मनपसंद शिक्षालय में शिक्षा लेने से दूर कर दिया। कम फीस लेकर किसी छोटे से मकान या सुदूर किसी पहाड़ी पर किसी झोपड़ी में चलने वाले विद्यालय आज सरकार द्वारा जबरदस्ती बंद करवा दिए जा रहे है। सरकार खुले तौर पर विद्यालय बंद होने की बात नही स्वीकारती और आलोचक आंकड़ा न होने की बात कहकर मुद्दे को नकारते रहे है, मगर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलाएंस (निसा) की आंकड़ों की माने तो शिक्षा के अधिकार कानून की वजह से हर वर्ष हजारों विद्यालय बंद हो रहे है। अकेले 2014 में 6 राज्यों में 4,327 विद्यालय बंद हुए, वही 2015-16 में 3,332 विद्यालय बंद होने के आंकड़े निसा के पास उपलब्ध है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि देशभर में कितने विद्यालय बंद हुए होंगे और कैसे इसके शिकार बच्चें व अभिभावक हो रहे होंगे।

अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों के साथ साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम आर्थिक रूप से असक्षम वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 फीसदी नामांकन देने की भी बात करता है।

संविधान में शिक्षा समवर्ती सूचि में शामिल है, अर्थात शिक्षा केंद्र व राज्य दोनों की परिधि में शामिल है। केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय केंद्र के अधीन है, बाकी राज्य सरकार के अधीन ही रहनेवाले विद्यालयों में अधिकतम बच्चें पढ़ते है। हालात यह है कि केंद्र व राज्य के अधीन होने वाले विद्यालयों में जमीन आसमान का फर्क मालुम पड़ता है। वही नीतियों को लेकर एकसमान न होने की वजह से देशभर में विद्यालयी शिक्षा में एकरूपता का अभाव है और इस वजह से उत्तर के राज्यों में पढनेवाले विद्यार्थी दक्षिण के राज्यों से भिन्न शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाए प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है, इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी-ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है।

आज भी लाखों विद्यालय किसी एक शिक्षक के भरोसे है, तो हजारों विद्यालय आज भी शिक्षकविहीन है। 8 अगस्त, 2016 को लोकसभा में एक प्रश्न के जबाव में सरकार ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के अधिकार कानून के तहत् वर्णित शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को बनाये रखने की मंशा लिए कुल 19 लाख 48 हजार शिक्षकों के पद सृजित किये गये, जिसमें से 31 मार्च 2016 तक 15 लाख 74 लाख पद भरे जा चुके है। वही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसके तहत प्रत्येक नये या उन्नत माध्यमिक विद्यालय में एक हेड मास्टर व 5 शिक्षक रखने का प्रावधान है, में लगभग 1 लाख 22 हजार पद सृजित किये गये थे, जिसमें केवल 75 हजार 935 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है। UDISE के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में आज भी 1 लाख 4 हजार 259 प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक है, वही 1371 माध्यमिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक है। 28 नवंबर, 2016 को एक सवाल के जबाव में संसद में बताया गया कि 11378 विद्यालय ऐसे है जहाँ कोई शिक्षक नही है।

यह दस वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधान सभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर-शैक्षिक कार्य के लिए अध्योपकों की तैनाती का भी निषेध करता है।

आप किसी भी विद्यालय में चले जाए, शिक्षकों से बात करने पर यह जानना कठिन नही होगा कि शिक्षकों को कई तरह के कार्यों में सरकारी व्यवस्था उलझाए रखती है, जिसका पढ़ने पढ़ाने से कोई संबंध नही होता।

आरटीई अधिनयम में मिली छूट का फायदा उठाते हुए लगभग सभी राज्य ने अलग अलग तरह के नामकरण करके शिक्षकों का कोटा भरने की कोशिश की है, जिनमें न केवल पारदर्शिता का अभाव है बल्कि उनकी योग्यता, उनकी चयन प्रक्रिया, समान काम के बावजूद असमान वेतन जैसी बातें उठाई जाती है। एक ही विद्यालय में कोई 5 हजार तो कोई 50 हजार का वेतन पाता हो, अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि विद्यालय का माहौल कैसा होगा।

यह कहने में कोई गुरेज नही कि शिक्षा का अधिकार कानून तमाम अच्छी बातों के बावजूद ढेरों खामियों को समेटे भी हुए है। लेकिन एक बात तो तय दिखती है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधरने की बजाए बिगड़ती जा रही है और उसे ठीक करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत प्रभावी नही हो रहा है, साथ ही यह अवरोध भी पैदा कर रहा है। आज न केवल सरकारी शिक्षा से लोग अपने बच्चों को अलग रख रहे है बल्कि वे कम शुल्क में अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना ज्यादा बेहतर विकल्प मानते है। विश्व बैंक के एक आंकड़े के मुताबिक विश्व का पांचवा विद्यार्थी किसी निजी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो बीते 20 सालों के मुकाबले लगभग दोगुना वृद्धि है। यह आंकड़ा अधिक भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय है जो पंजीकृत नही है। भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा और चौकाने वाला है। जहाँ 2006 में केवल 19 फीसदी बच्चें निजी शिक्षा ले रहे है, वह आंकड़ा 2013 में बढ़कर 29 फीसदी हो गई। बीते 3 वर्षों में यह आकड़ा 35 फीसदी के आसपास हो जाने की बात कोई आश्चर्यजनक घटना नही होगी।

इसलिए समय की मांग है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर सरकार अविलम्ब ध्यान दे ताकि शिक्षा के अधिकार को वास्तविक रूप में क्रियान्वित किया जा सकें। 93वें संवैधानिक संशोधन व शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नही है कि संसाधनों के अभाव में अधिकतर बंद हुए विद्यालय बच्चों की एक बड़ी आबादी को शिक्षा से दूर रखने का कार्य किया है। सामाजिक विश्लेषक यह मानते है कि अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई की परिधि से दूर है, इसलिए अधिकतर बंद हुए ये विद्यालय हिन्दुओं के द्वारा चलाये जाने वाले ही है। इसलिए शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों में सरकार संसोधन करे व इसे केवल उन जिलों में लागू किये जाए जहाँ के सरकार द्वारा चलायी जा रहे सभी विद्यालय इस अधिनियम के विहित प्रावधानों को पूरा करते है। जमीन, खेल के मैदान, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सहित कई ऐसे प्रावधान है जिसमें ढील देने की जरुरत है ताकि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बंद होने के कगार पर पहुंचे विद्यालयों को चालू रखा जा सकें।

सरकार को सरकारी विद्यालयों में विश्वास लौटाने हेतु न केवल सामाजिक अभियान चलाने की जरुरत है बल्कि शिक्षकों को भी आंतरिक रूप से प्रेरित करने वाले प्रयासों को आजमाने की जरुरत है जहाँ वे स्वयं प्रेरित होकर बच्चों के बीच उत्साह से शिक्षण कार्य कर सकें। सीबीएसई की तर्ज पर एक नया स्कूल बोर्ड बनाना चाहिए जो विभिन्न भौगौलिक व विभिन्न वर्गों के लोगों की जरुरत की आवश्यकताओं का ख्याल रख सकें। इससे न केवल सीबीएसई को एक प्रतिस्पर्धा मिलेगी बल्कि बेहतर माहौल भी बनेगा। इससे शिक्षा में एकरूपता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

देश में एक नया संस्थान बनना चाहिए जो भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकें। शिक्षा के अधिकार अधिनयम इस बिंदु पर न्याय करने में विफल रहा है। कौन सा संस्थान अल्पसंख्यक है और कौन नही, इसे तय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग करती है। मगर भाषाई अल्पसंख्यकों के मसले पर इसकी नीतियाँ पक्षपाती है और भाषाई अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा हेतु 2005 के अधिनियम के तहत बने इस संस्था पर विश्वास नही किया जा सकता जिसमें एक भी हिन्दू सदस्य नही है।

इन कोशिशों से सरकारी विद्यालय न केवल सही मायने में शिक्षा के केंद्र बनेंगे बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा भी कर सकेगा।

(लेखक राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका के संपादक मंडल सदस्य है।)

साहस और संकल्प का क्षेत्र है पत्रकारिता

| अजीत कुमार सिंह |

दुनिया में घटित होने वाली हर छोटी-बड़ी घटनाओं से समाज को रूबरू कराने का काम पत्रकार समुदाय करती है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी परतंत्रता की बेड़ियों से भारत मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए लोगों को जगाने का काम पत्रकारों ने ही किया। यूं कहें कि समाज को उसके दायित्वों का बोध कराने में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिस कारण पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में पत्रकारिता एक अहम भूमिका निभाती है। पत्रकारिता ही वह साधन है, जिसके माध्यम से हमें समाज की दैनिक घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त होती है। वास्तव में पत्रकारिता का उद्देश्य जनता को सूचना देना, समझाना, शिक्षा देना और उन्हें प्रबुद्ध करना है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाला पत्रकारिता जगत एक बेहतर करियर विकल्प हो सकता है, बशर्ते उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेने का साहस हो। समाचार पत्र या पत्रिकाओं की दुनिया हो या सनसनीखेज खबर फैलाती इलेक्ट्रोनिक मीडिया का संसार, रेडियो की आवाज की जादू हो या फिर वेब पत्रकारिता का जाल, सभी उत्साही व सजग कर्मयोगियों को अपने-अपने तरीके से मंच दे रहे हैं। यह सत्य है कि इस क्षेत्र में पत्रकारों के लिए अवसर अनंत है। समय के साथ पत्रकारिता भी कठिन हो गया है, पत्रकारिता में टिके रहने के लिए साहस और संकल्प का होना निंतात आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारों को अब घटनाओं की मात्र साधारण रिपोर्ट देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रिपोर्टिंग में अधिक विशेषज्ञता और व्यावसायिकता होना आवश्यक है। नई-नई तकनीकों के कारण अब पत्रकारिता के कई प्लेटफार्म देखने को मिल रहे हैं। प्रिंट, रेडियो और टीवी के बाद पत्रकारिता का भविष्य वेब पर आ गया है। अगर आप की दिलचस्पी समाचार, दुनिया में घट रही घटनाओं और लिखने में है तो आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं।

पत्रकारिता के पाठ्यक्रम

जनसंचार में कई तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। आप चाहें तो स्नातक, परास्नातक, परास्नातक डिप्लोमा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के हिसाब से शैक्षिक योग्यता भी अलग-अलग निर्धारित है, लेकिन अधिकतर संस्थान न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही मांगते हैं। इनमें मुख्य रूप से जनसंचार में स्नातक, प्रसारण पत्रकारिता में स्नातकोत्तर, विकासात्मक पत्रकारिता, जनसंपर्क एवं संचार माध्यम के जरिए भी स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधि ली जा सकती है। यहां इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि अध्ययन के लिए उस संस्थान का चयन करें, जहां आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण ही इस क्षेत्र में सफलता का मार्ग तय करता है। कुछ संस्थान ऑनलाइन पत्रकारिता के पाठ्यक्रम अलग से भी कराते हैं।

पत्रकारिता में दाखिला के लिए प्रमुख संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मास कम्यूनिकेशन पूणे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया बैंगलोर, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्यम चेन्नई के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम संचालित होते हैं।

परंपरागत समाचार पत्र/पत्रिकाओं का क्षेत्र(प्रिंट मीडिया)

परंपरागत समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं तथा दैनिक पत्रों के लिए समाचारों को एकत्र करने एवं उनके संपादन के संबद्ध है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, वे बड़ी हों या छोटी, हमेशा विश्वभर में समाचारों तथा सूचना का मुख्य स्रोत रही है और लाखों व्यक्ति उन्हें प्रतिदिन पढ़ते हैं। कई वर्षों से प्रिंट पत्रकारिता बड़े परिवर्तन की साक्षी रही है। आज समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं विविध विशेषज्ञतापूर्ण वर्गों जैसे राजनीतिक घटनाओं व्यवसाय समाचारों, सिनेमा खेल, स्वास्थय तथा कई अन्य विषयों पर समाचार प्रकाशित करते हैं, जिनके लिए व्यावसायिक रूप से योग्य पत्रकारों की मांग होती है। प्रिंट पत्रकारिता में कोई भी व्यक्ति संपादक, संवाददाता आदि के रूप में कार्य कर सकता है।

इलेक्ट्रोनिक मीडिया (टेलीविजन/रेडियो/इंटरनेट)

इलेक्ट्रोनिक पत्रकारिता को अक्षरों की दुनिया से निकलकर दृश्य की दुनिया में ले आया। इलेक्ट्रोनिक पत्रकारिता का विशेष रूप से प्रसारण के माध्यम से जन-समुदाय पर पर्याप्त प्रभाव है। दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य, दृश्य(ऑडियो-वीडियो) और वेब जैसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने दूर-दराज के स्थानों में समाचार, मनोरंजन एवं सूचनाएं पहुंचाने का कार्य किया है। इस पत्रकारिता में कोई भी व्यक्ति संवाददाता(रिपोर्टर) लेखक, संपादक, अनुसंधानकर्ता और समाचार वाचक(एंकर) बन सकता है।

सोशल मीडिया

युवाओं की पहुंच में हर वक्त रहने वाले सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से इसके विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है। कई ऐसे नए करियर विकसित हो गए हैं, जिनसे बड़े स्तर पर लोग आज भी अनजान हैं। आज अधिकांश उत्पादों ने सामाजिक अंतरजाल (सोशल नेटवर्किंग साइटस) पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है। क्योंकि यह संस्थान की ऑन-लाइन मार्केटिंग और संचार रणनीति का हिस्सा होती है। ऐसे में उन युवाओं की मांग बढ़ गई है जो आभासी दुनिया में उनकी जोरदार ब्रांडिग कर सकेस लोगों से सही संचार स्थापित कर सके। सोशल मीडिया में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मियों क लिए गूगल, फेसबुक, लिंकडइन व ट्विटर जैसे क्षेत्र में काम करने के अच्छे मौके हैं।

वेब पत्रकारिता

पत्रकारिता के इस प्रारूप में वाचक, आंगतुकों को प्रतिक्रिया की सुविधा दी, यानी आफ समाचार बनाने वाले से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। स्मार्ट फोन के आ जाने से यह दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। पत्रकारिता के भविष्य के रूप में इस माध्यम को स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही आज लगभग मीडिया संस्थान अपने वेब पोर्टल चला रहे हैं।

जनसंपर्क

यह क्षेत्र पत्रकारिता से थोड़ा हटकर है, पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान इसे भी पढ़ाया जाता ह। किसी व्यक्ति संस्थान की छवि को लोगों की नजर में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना जनसंपर्क में आता है। जनसंपर्क का पाठ्यक्रम करने के बाद व्यापार घरानों राजनीतिक हस्तियों और संस्थानों के लिए काम किया जाता है।

विज्ञापन

किसी उत्पाद, विचार संचार के किसी प्रभावशाली माध्यम से ब्रांड निर्माण की प्रक्रिया को विज्ञापन कहते हैं। लोगों की सोच को अपने पक्ष में करने के लिए व्यावसायिक घरानें, राजनीतिक संगठन और सामाजिक संस्थानों द्वारा इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है।

रोजगार के अवसर

पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद आपको समाचार ऐजेंसी, समाचार वेबसाइट, प्रोडक्शन हाउस, निजी और सरकारी समाचार चैनल, प्रसार भारती, प्रसारण कार्य, फिल्म निर्माण में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आप चाहें तो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र विज्ञापन ऐजेन्सी, जनसंपर्क के साथ ही सामाजिक माध्यमों में भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है।

(लेखक राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका के संपादक मंडल सदस्य हैं।)

दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली विश्वविद्याय में इस साल स्नातकोत्तर, शोध और कुछ स्नातक पाठ्यकर्मों में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा और शुल्क बढ़ाने की तैयारी पर अभाविप का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थायी समिति की बैठक के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने 20 व 21 मार्च को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने काउंसिल मेंबर्स से मिलने की मांग की। इस दौरान छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण जाम की स्थिति बन गई।

स्थायी समिति के बैठक में शामिल प्रवेश समिति के सदस्यों से अभाविप के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी बातें रखीं। काउंसिल ने भी अपने पक्ष में दलील दी लेकिन ज्यादातर छात्रों का मानना है कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पक्षों से बातचीत नहीं की है। अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा ने बताया कि विश्वविद्यालय की किसी भी समिति एसी, ईसी, स्टैंडिंग काउंसिल में जब इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है तो ऑनलाइन एंट्रेंस का टेंडर कैसे निकाला गया? विश्वविद्यालय प्रशासन गैरकानूनी तरीके से काम कर रहा है। अभाविप का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र के हितों की अनदेखी की गई तो अभाविप उग्र आंदोलन करेगी।

अभाविप के दिल्ली प्रदेश मंत्री भरत खटाना ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में हर साल प्रयोग क्यों किया रहा है? पिछले ही साल परा-स्नातक प्रवेश परीक्षा छह शहरों में होना शुरू हुआ, उसी पद्धति को और अधिक मजबूत करने और नए केन्द्र बनाने की बजाय ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने की जल्दबाजी क्यों और किसी भी बदलाव पर विद्यार्थियों से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा चर्चा क्यों नहीं की गई। ■

"भारत तेरे टुकड़े होंगे"

ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी?

|मोनिका अरोड़ा|

आज देश के समक्ष यह प्रश्न खड़ा है "भारत तेरे टुकड़े होंगे" - क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? जाहिर तौर पर इस प्रश्न ने भारतीय चिंतकों को दो वर्ग में बांटा है। एक वर्ग अभिव्यक्ति की आजादी को मूलभूत मानवाधिकार मानता है और विरोध की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह वर्ग उमर खालिद और शेहला रशीद को दिल्ली विश्वविद्यालय सेमिनार में बुलाने का विरोध नही करते और वे सुप्रीम कोर्ट के बलवंत सिंह बनाम भारतीय संघ में हुए फैसले पर भरोसा करते हैं जिसमें कहा गया है कि मात्र नारें लगाना राजद्रोह नही है। दूसरे वर्ग का यह तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की सात (7) न्यायाधीशों की पीठ ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में राजद्रोह क़ानून धारा 124A को सही ठहराया है जिसमें यह कहा गया है की कोई शब्द लिखित या मौखिक रूप से हिंसा को प्रेरित करे, घृणा या शत्रुता फैलाए, यह कानूनी तौर पर राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। उन्होंने कहा की "भारत की बर्बादी" और "भारत तेरे टुकड़े होंगे" जैसे नारों ने हिंसा और अपराध को बढाने का कार्य किया है।

9 फ़रवरी के प्रकरण के बाद ये नारे कश्मीर, जादवपुर यूनिवर्सिटी और अन्य जगहों पर भी लगे। अतः ये नारें "द्वेषपूर्ण भाषण" की श्रेणी में आते हैं जो की आईपीसी की धारा 153, 295, 298 और 505 के तहत विभिन्न वर्गों में जाति, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर घृणा व वैमनस्यता फैला रहे हैं।

इस वर्ग का कहना है की मौलिक अधिकार को याद रखना अच्छी बात है लेकिन मौलिक कर्तव्यों को भी नही भूलना चाहिये जो यह बताता है कि – सभी नागरिकों को अखंडता, एकता और संप्रभुता तथा विभिन्न समुदायों के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिये। माननीय न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम

भारतीय संघ (2005) में यह कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के तीन घटक होतें है- परिचर्चा, बहस एवं भड़काना।

चर्चा और बहस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गयी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आतें हैं। लेकिन जब कोई अपराध होता है तो उसे बढ़ावा देने वाले लोग भी होतें हैं। अभिव्यक्ति की आजादी निरंकुश नही होनी चाहिये क्योंकी यह सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक है।

चेतावनी देती भारत की स्थिति

फरवरी 2016 में पम्पोर की एक इमारत में सेना और आतंकियों के बीच गोली बारी होती है। सारा देश इस बात का गवाह है कि जब सामने से भयंकर गोलाबारी हो रही थी जिसमें 5 जवान और 2 मेजर शहीद हुए, जिसमें से 2 जेएनयू से पढ़े हुए जवान भी थे तब मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों से नारे लग रहे थे "जीवे जीवे पाकिस्तान"

वे भारतीय सेना को अपमानित कर रहे थे। पीछे हाथों में पत्थर लिए 300 लोगों की भीड़ " भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई लश्कर आई" के नारे लगाते हुए सेना पर पत्थर फ़ेंक रही थी।

अमेरिका में हुई 9/11 की घटना अथवा 2016 के आतंकी हमले के बाद फ्रांस या मार्च 2016 में बेल्जियम पर हुए आतंकी हमलों के बाद ऐसी घृणास्पद स्थितियां वहाँ देखने को नही मिली थीं।

9/11 हमले के बाद अमेरिका में ऐसे घटनाक्रम नही सुनाई दिए जिसमें नारें लग रहे हों "अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह", "अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी", "कितने ओसामा मारोगे, हर घर से ओसामा निकलेगा"।

रामजस कॉलेज प्रकरण

रामजस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा संस्कृति की सभ्यता के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन होता है जिसमें उमर खालिद को वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। भारी संख्या में आम छात्र और रामजस कॉलेज छात्र संघ के लोग कार्यशाला के विरोध में प्रदर्शन करतें हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रधानाचार्य द्वारा कार्यशाला रद्द कर दी जाती है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में बाहरी वामपंथी लोग रामजस कॉलेज में घुसते हैं और नारे लगाते हैं "आजादी – आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी"। अगले दिन दो वर्ग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और वामपंथी दोनों कॉलेज कैम्पस के बाहर प्रदर्शन करतें हैं जिसमे हिंसा और हाथापाई भी होती है। मीडिया की एकतरफा रिपोर्ट में दोनों तरफ की मारपीट दिखाई जाती है और आरोपों को साबित करने के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर इस स्तर तक चली जाती है की "अभाविप की गुंडागर्दी" शीर्षक बनाकर एक आरोपी छात्र को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है अभाविप के छात्र ने दूसरे छात्र को जमकर पीटा।

वास्तविकता यह है की हमला करने वाला आरोपी जिसका नाम प्रशांत है वह एसएफआई दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है जो स्वयं अन्य छात्रों के साथ हिंसा का आरोपी है।

रामजस प्रकरण से दो प्रश्न उठते हैं - (1) वे शिक्षक कौन थे जिन्होंने कार्यशाला का आयोजन किया और उमर खालिद जैसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जो की स्वयं सशर्त जमानत पर रिहा है और भारत विरोधी एवं सेना विरोधी बयानबाजियों के लिए जाना जाता है? (2) क्या ऐसे शिक्षकों पर जांच नही बैठनी चाहिये जो जानबूझकर ऐसे कार्य करतें हैं जिससे कानून व्यस्था प्रभावित हो और दो समुदायों में वैमनस्यता बढ़े। (3) उमर खालिद की क्या योग्यता है जिसके कारण उसे वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया? क्या वह कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रोफेसर है? क्या उसने कोई किताब लिखी है या किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में उसके शोध प्रकाशित हुए हैं?

अतः भारतीय नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति की आजादी घृणास्पद भाषणों और भारत विरोधी नारों को बोलने का जरिया न बनाया जाये।

वामपंथी जब विपक्ष में होते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए चिल्लातें हैं और जब वे सत्ता में आते है तो जीने की आजादी छीनते हैं

पश्चिम बंगाल में ज्योति बासु के नेतृत्व में 1977 में वामपंथी सरकार बनी और लगभग तीन दशकों तक पश्चिम बंगाल पर वामपंथियों का राज रहा।

सेन बारी की हत्या को कौन भूल सकता है, 1970

में कांग्रेस पार्टी के दो भाइयों को सीपीआई के गुंडे बहुत बुरी तरह मारते हैं और उनकी माँ को खून से बने चावल खाने को मजबूर करतें हैं। जिसके कारण उनकी माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और मृत्यु के पहले 10 वर्षों तक पागल बनी रहती हैं। सीपीआई के गुंडों द्वारा 1982 में मारे गये आनंद मार्गियों को कौन भूल सकता है। आनंद मार्गी वैचारिक रूप से बंगाल में बहुत शक्तिशाली हो गये थे। एक शैक्षिक कार्यशाला हेतु पूरे भारतवर्ष से वे सभी पश्चिम बंगाल में एकत्रित हुए। लेकिन उनकी गाड़ियों को जगह जगह रोकने के बाद पेट्रोल, डीजल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था।

देश में पहली बार 1957 में वामपंथी सरकार केरल राज्य में बनी थी। वहां के सदानंद मास्टर जी को कैसे भूला जा सकता है जो स्वयं वामपंथी परिवार में जन्मे और उन्हें जब यह एहसास हुआ की वामपंथी हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं तब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर विमुख हो गये हुए। लेकिन जनवरी 1994 में वामपंथियों ने बीच बाजार में उनके दोनों पैरों को काट दिया क्योंकि यह एक सबक था उन लोगो के लिए जो लोग वामपंथ छोड़ कर जाना चाहते थे। जो उनके रास्ते को छोड़ेगा उसे जीवन जीने का भी अधिकार छोड़ना होगा। हम मास्टर जय किशन को कैसे भूल सकतें हैं जो 8–9 साल के बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे थे तभी वामपंथी गुंडे कक्षा में घुस कर उन्हें काट डालतें हैं उनके खून के छींटे वहां बैठे हुए जिन छात्रों के ऊपर पड़े वो आज भी सदमे में हैं।

हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि – "गुरु गोविन्द दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविन्द दियो बताये।" एन. सरसु नामक दलित महिला शिक्षिका 22 वर्षों तक गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज में शिक्षा प्रदान की। वर्ष 2016 में उनके सेवानिवृत्ति के दिन एसएफआई के सदस्यों (वामपंथियों) ने कॉलेज परिसर में ही उनकी कब्र खोद दी। ये वामपंथी जब विपक्ष में रहतें हैं तो महिला की अस्मिता और सम्मान का रोना रोते हैं और सत्ता में आते ही उसी महिला को प्रताड़ित कर उसके सम्मान का गला घोंट देते हैं। उदाहरण तो भरे पड़े हैं जब एक महिला ऑटो चालाक का ऑटो वामपंथियों द्वारा जला दिया जाता है क्योंकि महिला को ऑटो चलाने की इजाजत नही थी।

इस प्रकार जो लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं, वे यह भूल जातें हैं की इस देश का निर्माण स्वीकृति की परम्परा पर हुआ है ना कि असहिष्णुता पर। यह वह देश है जिसने ज्यूस और पारसियों को भी अपनाया है, यहाँ चर्चा, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है और किसी के वैचारिक अभियक्ति पर जबरदस्ती नियंत्रण नही किया जाता।

ऐसी संस्कृति के लोगो को इस देश में भारत विरोधी नारे, आतंकी बुरहान वानी के समर्थक या धर्म के नाम पर सात लाख कश्मीरियों की हत्या करने वालों को नही स्वीकार किया जाएगा। इस देश ने कभी भी किसी गैलेलियो को सिर्फ इसलिए नही मार दिया क्योंकि वह सूर्य को केंद्र मानकर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी के बारे में बताकर तत्कालीन ग्रंथो और धर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी।

(लेखिका सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं)

अयोध्या विवाद : कब बनेगा भव्य मंदिर?

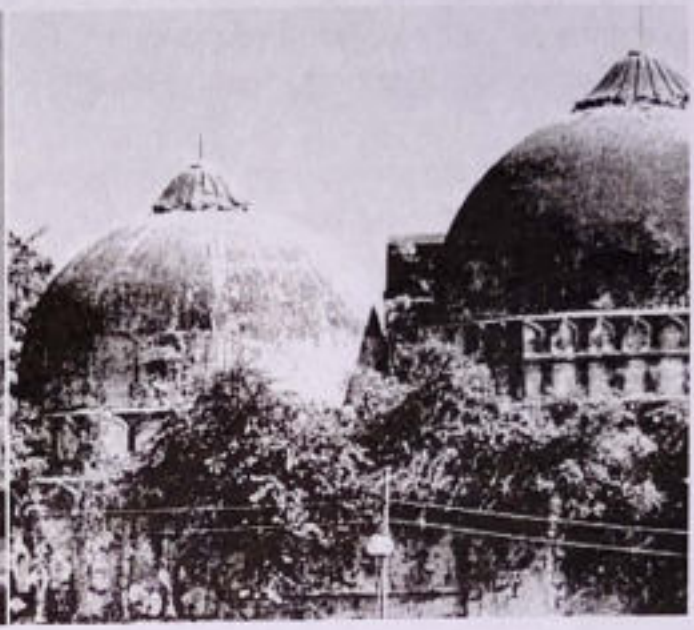

सनातन संस्कृति में राम शब्द का महत्व ठीक वैसे ही है जैसा मनुष्य शरीर में प्राणवायु का है। इसलिए भारत देश की संकल्पना बिना राम के पूर्ण नहीं हो सकती। भारत ही नहीं अन्य कई देशों में भगवान् राम का नाम बड़ी ही श्रद्धा से लिया जाता है। संक्षेप में कहें तो राम एक संस्कृति हैं जिसका जड़ें आयोध्या में हैं। बाबर ने 1528 में मंदिर को तोड़कर उस अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। आजादी के बाद सन 1949 में राम भक्तों में ने रामजन्म भूमि पर मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की। इसके बाद से हिन्दू नियमित रूप से वहाँ पूजा करने लगे। विवाद चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब दिसंबर 1992 में लाखों कारसेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा (बाबरी मस्जिद) ध्वस्त कर दिया। लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों बाद अयोध्या पर रिपोर्ट तैयार की। लम्बे विवाद के बाद अंततः सितम्बर 2010 में इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया जिसमे इस बात की पुष्टि हुई कि मस्जिद का निर्माण मदिर को तोड़कर किया गया था। फैसले पर दोनो पक्षों की सहमति नही बनी अतः मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट की राय है की समाधान कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से हो। फ़िलहाल जब देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार स्थापित है तो इस मुद्दे का समाधान जल्द हो यही अपेक्षा है। इस ज्वलंत मुद्दे पर युवाओं की राय जानने के लिए राष्ट्रीय छात्रशक्ति के संवाददाता उत्कर्ष श्रीवास्तव ने युवाओं से बातचीत की और उनके विचार जाने।

राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में राम जन्म भूमि है। उस मंदिर से हमारी आस्था और विश्वास जुड़ा है, सनातन धर्म में रामायण और राम मंदिर का अस्तित्व बना रहे इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर से लोगो को मर्यादा में रहने और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है। अयोध्या विवाद पर राजनीति करने की वजह पुराणों को देखा जाए तो राम मंदिर युगों युगों से बना है, अगर पुरातात्विक प्रमाणों और वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर डालें तो अयोध्या में राम मंदिर होने के कई पुख्ता सबूत भी मिले है, इससे साबित होता है कि अयोध्या में राम मंदिर था और बनना चाहिए।

— रसना तिवारी

(बीएड छात्रा, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, कानपुर)

अयोध्या मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाना तो संभव नहीं दिखता। जब इतने वर्षों तक कोर्ट ने इसकी सुनवाई की है तो निर्णय भी उसे ही देना चाहिए। बाद में यदि कोई समस्या पैदा होती है तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा और वर्षों तक लटका रहेगा। इससे अच्छा है कि कोर्ट में पेश की गयी दलीलों और जांच समीति के द्वारा पेश की रिपोर्ट को देखकर निर्णय लिया जाए। फैलसा आने में जितनी अधिक देर होगी लोगो के लिए उतनी ही समस्याएं ख़डी होंगी। क्योंकि राजनीति करने वाले आस्था की भी राजनीति करने से बाज नहीं आएँगे। और मौका देखते ही विषाक्त बयां देकर देश में हलचल पैदा कोशिश करेंगे यह मसला दिन प्रतिदिन राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बनता जा रहा है। अतः सुप्रीम कोर्ट को अब अपना फैसला सुना देना चाहिए। कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा वह सर्वमान्य होगा।

— मीनाक्षी राय (हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय)

यह देश केवल हिन्दुओं का नहीं है। यहाँ पर मुसलामानों का भी पूरा अधिकार है। इसलिए दोनों की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है इसलिए हम ये नहीं कह सकते की हमारी श्रद्धा ज्यादा है और तुम्हारी कम। परन्तु कोर्ट और राम मंदिर से जुड़े लोगों को जनभावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अयोध्या से हिन्दू धर्म की आस्था उतनी ही है जितनी की मुसलमानों की मक्का से है। मुसलमानों के साथ अन्याय ना हो इसलिए उन्हें भी मस्जिद के लिए स्थान मिलना चाहिए। और ये बात दोनों पक्ष के लोगों को समझनी चाहिए। हमारी आस्था का केंद्र यदि अयोध्या है तो मंदिर के निर्माण पर रोक हटा देनी चाहिए। पौराणिक काल से ही अयोध्या और काशी का महत्व रहा है इसलिए अन्य धर्मों को भी हमारी आस्था और विश्वास का ध्यान रखना होगा।

— प्रवेश कुमार (एमए छात्र, शिबली पीजी कॉलेज, आजमगढ़)

कोर्ट के आदेश पर जब पुरातात्विक विभाग द्वारा आयोध्या में जन्मस्थान पर खुदाई की गयी तब वहां 11वीं -12वीं शताब्दी के अवशेष मिले जिसमे मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मौजूद थे। लगभग 55 की संख्या में मंदिर स्तम्भ प्राप्त हुए जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह स्थान मंदिर था। इसे बाद में विध्वंस करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसलिए राम मंदिर जरुर बनना चाहिए। 80 प्रतिशत हिन्दू आबादी वाले देश यदि राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो यह बेहद दुर्भाग्पूर्ण होगा। ये इंतेजार और कितना लम्बा होगा? अब तो केंद्र और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। इसलिए राम मंदिर को जल्द से जल्द बन जाना चाहिए और फिर आगे की बात हो।

— अभिषेक बंसल (भोजपुर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश)

अब तो बीजेपी के पास कोई बहाना भी नहीं है राम मंदिर ना बनवाने का। लोकसभा, राज्य सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा सभी जगहों पर उनकी सरकार है। बीजेपी का मुद्दा भी राम मंदिर निर्माण रहा है। सभी हिन्दुओं का यही मत है कि मंदिर निर्माण तत्काल किया जाए और मस्जिद को वहां से दूर बनवाया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता की बात की है जो कि गलत नहीं है। यदि आपसी बातचीत से आज की तारीख में मंदिर पर सहमति बन जाती है तो ये हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए भी सही होगा। देश में हम सभी को शांति और सुकून चाहिए। 21वीं सदी में यदि हम मंदिर मस्जिद विवाद में उलझे रहे तो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द विवाद का अंत करना होगा और ये अंत तभी होगा जब अयोध्या में रामजन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा।

— श्वेतांक सिंह दुग्वंशी (सिविल अभियंता, मुंबई)

परिषद् गतिविधियाँ

रथिनम कला एवं विज्ञान महाविद्यालय (कोयम्बटूर, तमिलनाडु) में संबोधित करते हुए
अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर

भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर भोपाल में बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते अभाविप कार्यकर्ता

RNI 32464/78

रैली में मंच पर उपस्थित अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे व अन्य छात्र नेता

छात्र आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में सहभागी छात्राएं